न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

अपील सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
5/9	29.08.2024	31.01.2025

उनवान

1. पवन कुमार सैनी पुत्र हरिराम सैनी जाति माली निवासी ग्राम उमरैण तह0 अलवर

––अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर पंचायत समिति मालाखेडा तह0 मालाखेडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा

––असल रेस्पॉडेन्टान

3. तेजेन्द प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
4. देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाटोली तह0 मालाखेडा हाल निवासी 3–सी–7,, सदभावना नगर, श्रीगंगानगर राज0

––तरतीबी रेस्पॉडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर
इंतकाल संख्या 1097 दिनांक 20.06.2024

उपस्थितिः–
1. श्री के.के. एड0 अपीलान्ट
2. श्री देवेन्द्र प्रधान एड0 रेस्पोन्डेन्ट

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 507 रकबा 1.12 है0, वाके ग्राम जाटोली सम्पूर्ण अपीलान्ट के द्वारा तय प्रतिफल अदा कर बाकब्जा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.05.2024 को बाद क्रय उपरोक्त आराजीयात के अपीलान्ट बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से मालिक काबिज चले आ रहे है और मौके पर काबिज रहते हुये कार्य काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर कोई किसी प्रकार का विवाद ना तो वक्त खरीद था और ना ही वर्तमान मे है। अपीलान्ट ने बयनामा की प्रति तहत अदालत के समक्ष पेश करते हुये इन्तकाल बैय स्वीकार करने का निवेदन किया जिस पर तहत अदालत ने आश्वस्त किया कि बैय स्वीकार हो जावेगा किन्तु तहत अदालत ने कानून को ताख पर रखकर खिलाफ मौका, कब्जा, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलान्टान को बिना सुने मौके पर विवाद पाये जाने का गलत पृष्ठाकंन करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 पारित कर बैय अस्वीकार फरमा दिया जो आलोच्य आदेश

उपखण्ड़ अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

न्यायोचित आधार पर आधारित ना होने व मौके पर कोई विवाद ना होने, खिलाफ मौका कब्जा विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले अपारस्त योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 का है जिसकी जानकारी पूर्व मे नही रही अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत तहत अदालत के समक्ष बयनामा दिनांक 16.05.2024 की प्रति पेश कर इन्तकाल बैय स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे इन्द्राज करने का निवेदन किया किन्तु तहत अदालत ने आलोच्य आदेश पारित कर दिनांक 20.06.2024 को इन्तकाल अस्वीकार कर दिया जिसकी नकल आदि दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त हुई। उक्त देरी के लिये पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत समय को कण्डोन करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की विधिवत रूप से रजिस्टर्ड तलबी होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने पर अनापत्ति अंकित की। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने इंतकाल में वर्णित विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है। रजिस्टर्ड बयनामा में आराजी का कब्जा मौके पर खरीददारान को दिये जाने का स्पष्ट अंकन है। तहत न्यायालय को बयनामा के आधार पर नामान्तकरण प्रक्रिया अपनाये जाने में मौके पर कब्जा संबंधी विषय पर गौर करना नहीं होता है। तहत न्यायालय द्वारा अपने पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 बाबत इंतकाल संख्या 1097 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो एवं विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2024 बाबत इंतकाल संख्या 1097 ग्राम जाटोली अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक बयनामा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

यह निर्णय आंज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०